सत्यमेव जयते
भारत सरकार/Government of India
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
नौवहन महानिदेशालय/ Directorate General of Shipping
सरकारी नौवहन कार्यालय/GOVERNMENT SHIPPING OFFICE
"मरीन हाऊस", हेस्टिंग्स/"Marine House", Hastings,
कोलकाता/Kolkata- 700 022

टेलीफोन: (033) 2223-0517/0527
फैक्स: (033) 2223-0108
ई-मेल: sm-kol-ship@gov.in
वेबसाईट: www.dgshipping.gov.in

Telephone: (033) 2223-0517/0527
Fax: (033) 2223-0108
E-mail: sm-kol-ship@gov.in
website: www.dgshipping.gov.in

सं0: एसईओ/2/2022-एसईओ-कोलकाता **दिनांक: 30.10.2025**

आदेश

जबकि मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक भर्ती और नियुक्ति सेवा प्रदाता को मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के तहत निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कोलकाता द्वारा दिनांक 17.11.2020 से 17.11.2025 की अवधि के लिए लाइसेंस धारक संख्या- आरपीएसएल-केओएल-020 जारी किया गया था ।

2. और जबकि, इस कार्यालय में दिनांक 24.11.2023 को तीसरा वार्षिक निरीक्षण आवेदन प्राप्त हुआ था । हालांकि, इसी दौरान, उनके आरपीएस लेटर हेड का इस्तेमाल करके उनके द्वारा प्रबंधित जहाज़ों पर विदेशी नागरिकों को भर्ती करने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी । जिसके संबंध में, मामले की जाँच की गई और इस कार्यालय द्वारा दिनांक 04.11.2024 को एक चेतावनी पत्र जारी किया गया, जिसमें आरपीएस एजेंसी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया । तत्पश्चात, उनका तीसरा वार्षिक आवेदन दिनांक 26.02.2025 को अनुमोदित कर दिया गया था ।

3. और जबकि, आरपीएस एजेंसी मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने समय सीमा समाप्त होने की वजह से बंद होने के कारण दिनांक 21.03.2025 के ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय से वार्षिक निरीक्षण की अनुमति माँगी थी । तदनुसार, उनका अनुरोध दिनांक 21.03.2025 को ही अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशालय को अग्रेषित कर दिया गया था । निदेशालय ने दिनांक 31.03.2025 के ईमेल के माध्यम से मामलों का निपटारा कर दिया था ।

4. और जबकि, आरपीएस एजेंसी मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड निर्धारित अवधि और तत्पश्चात दी गई अतिरिक्त अवधि के दौरान 4था वार्षिक निरीक्षण करने में विफल रही है ।

5. और जबकि, आरपीएस एजेंसी मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से दिनांक 24.06.2025 को एक अनुवर्ती ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चौथे आरपीएसएल लेखा परीक्षा के साथ-साथ आरपीएसएल नवीकरण निरीक्षण करने की अनुमति के लिए अनुमोदन की माँग की गई ।

6. और जबकि दिनांक 22.09.2025 को आरपीएस एजेंसी के साथ एक व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि निर्धारित अवधि प्रदान करने के लिए अनुमोदन ईमेल उनके ई-मेल स्पैम फ़ोल्डर में था, इसलिए वे ई-मेल देखने से चूक गए और तत्पश्चात वार्षिक निरीक्षण आवेदन तैयार नहीं किया जा सका । अतः आरपीएस एजेंसी तय समय सीमा में वार्षिक निरीक्षण करने में विफल रही ।

7. और जबकि आरपीएस एजेंसी मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कोलकाता के द्वारा लगातार सुविधा प्रदान किए जाने पर भी आरपीएस द्वारा वार्षिक निरीक्षण न किए जाने के कारण दिनांक 08.10.2025 के एसईओ, कोलकाता के पत्र सं. एसईओ/2/2022-एसईओ-कोलकाता के माध्यम से एमएस (आरपीएस) निमय 2016 के नियम 12(1) के तहत आरपीएस एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । जिसमें आरपीएस एजेंसी ने दिनांक 10.10.2025 के ई-मेल पत्र के माध्यम से कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया, जोकि संतोषजनक नहीं पाया गया ।

8. और जबकि, जाँच करने पर यह पाया गया है कि आरपीएस मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इस संबंध में एमएस (आरपीएस) नियम, 2016 के उपनियम 5(जेड) का उल्लंघन कर रहा है ।

कृपया पीछे देखें।

9. अतंतः, यह निष्कर्ष पाया गया कि मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास इस मामले में प्रस्तुत करने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है, और उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिनांक 15.02.2016 के राजपत्र अधिसूचना जीएसआर संख्या- 169 (ई) द्वारा प्रख्यापित मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के उपनियम 5(जेड) का उल्लंघन करने का दोषी है ।

10. उपर्युक्त के मद्देनजर, मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड आरपीएसएल सं.- आरपीएसएल-केओएल-020 को **30.10.2025 से 29.04.2026 तक 06 महीने (छह महीने) की अवधि के लिए निलंबित किया जाता है ।** हालाँकि, मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसके संबद्ध निदेशक उन नाविकों के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे, जिन्हें उक्त कंपनी द्वारा भर्ती किया गया है और जो वर्तमान में जहाज पर तैनात हैं ।

11. मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को यह भी निदेश दिया गया है कि वह भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर भर्ती और तैनात किए गए सभी भारतीय नाविकों के संबंध में सभी देय भुगतान, अर्थात लेवी शुल्क, एसडब्ल्यूएफएस बकाया और एसपीएफओ बकाया का भुगतान करें और भुगतान का प्रमाण यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।

12. आरपीएसएल कंपनी निलंबन अवधि पूरी होने के बाद वार्षिक और नवीकरण निरीक्षण कर सकती है । संतोषजनक वार्षिक और नवीकरण निरीक्षण के बाद लाइसेंस बहाल किया जाएगा, जिसे मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के अनुसार अनुपालन की जाँच के बाद इस कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा ।

13. यदि मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जारी किए गए इस आदेश से व्यथित है, तो वह इस आदेश की प्राप्ति के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, मर्चेन्ट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के नियम 19(1) के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में, प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता के समक्ष अपील कर सकते हैं । [यह नोट किया जाए कि समुद्री वाणिज्य (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के नियम 19(1) के तहत उल्लिखित नियम 18 को नियम 12 के रूप में पढ़ा जाना है, दिनांक 15.02.2016 के राजपत्र अधिसूचना संख्या- जी.एस.आर. 169 (ई) में टंकण त्रुटि देखें] ।

14. यह निदेशक, नाविक रोजगार कार्यायल, कोलकाता के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

उप निदेशक
कृते निदेशक

सेवा में,
मेसर्स सिग्नियस शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
सिग्नियस ग्रुप, 6 वेस्ट रेंज,
214/1/3 लोअर सर्कुलर रोड,
कोलकाता- 700017
ई-मेलः- sygniusship@gmail.com / crewing@sygniusship.com

प्रतिलिपिः-

1. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई [क्रू शाखा/प्रशिक्षण शाखा] ।
2. प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता/चेन्नई/मुंबई/कोच्चि/कांडला ।
3. निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, मुंबई/चेन्नई ।
4. नाविक पाल, सरकारी नौवहन कार्यालय, मुंबई/चेन्नई ।
5. डीडीजी (ई-गवर्नेंस), डीजीएस, मुंबई को तदनुसार, आरपीएस एजेंसियों की सूची अद्यतन करने के अनुरोध सहित ।
6. कंप्यूटर सेल, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई, डीजीएस वेबसाइट पर उक्त आदेश को प्रकाशित करने के अनुरोध सहित ।

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH · ONE FAMILY · ONE FUTURE

टेलीफोन: (033) 2223-0248
फैक्स: (033) 2223-0336
ई-मेल: seo.kol-ship@gov.in
वेबसाईट: www.dgshipping.gov.in

सत्यमेव जयते
भारत सरकार/Government of India
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
नौवहन महानिदेशालय/ Directorate General of Shipping
नाविक रोजगार कार्यालय/SEAMEN'S EMPLOYMENT OFFICE
"मरीन हाऊस", हेस्टिंग्स/"Marine House", Hastings,
कोलकाता/Kolkata- 700 022

Telephone: (033) 2223-0248
Fax: (033) 2223-0336
E-mail: seo.kol-ship@gov.in
website: www.dgshipping.gov.in

सं0/No : SEO/2/2022-SEO-KOLKATA दिनांक/Date : 30.10.2025

ORDER

Whereas M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd., a Recruitment and placement Service Provider, was issued with License bearing No. RPSL-KOL-020 for the period 17.11.2020 to 17.11.2025 by the Director, Seamen's Employment Office, Kolkata under Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016.

2. And whereas, 3rd Annual Inspection application was received on 24.11.2023 to this office. However, in the meantime, a complaint was received regarding recruiting foreign nationals on board vessels managed by them using their RPS letter head. For which, matter was investigated and a warning letter was issued on 04.11.2024 by this office wherein, RPS Agency has accepted their mistakes. Afterwards, his 3rd Annual application was approved on 26.02.2025.

3. And whereas, RPS Agency M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd. vide their email dated 21.03.2025 has requested this office for permission for annual inspection, as it was closed due to expiry of time period. Accordingly, their request was forwarded to the Directorate on 21.03.2025 itself for further necessary action. Issues was resolved by the Directorate vide email dated 31.03.2025.

4. And whereas, RPS Agency M/s. Sygnius Ship Management Pvt. Ltd. has failed to undertake 4th Annual inspection during the window period and the additional period given thereafter.

5. And whereas, subsequent email dated 24.06.2025 received from RPS Agency M/s. Sygnius Ship Management Pvt. Ltd., seeking approval to proceed with the 4th RPSL Audit of Sygnius Ship Management Pvt. Ltd., along with permission to carry out the RPSL Renewal Inspection concurrently.

6. And whereas a Personal Hearing was conducted on 22.09.2025 with the RPS Agency, wherein Company representative M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd. has stated that the approval email for providing window period was in their e-mail spam folder, hence they missed out the email and subsequently annual inspection application could not be generated. Thus RPS Agency has failed to undertake Annual Inspection in prescribed time limit.

7. And whereas a Show Cause Notice was issued to the RPS Agency, M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd. vide SEO, Kolkata's letter no. SEO/2/2022-SEO-KOLKATA dated 08.10.2025 under rule 12(1) of MS (RPS) Rules 2016 for not undertaking due annual inspection even after repeated facilitation by the DSEO, Kolkata by the RPS Agency. Wherein RPS Agency has replied the Show Cause Notice vide e-mail letter dated 10.10.2025, which is not satisfactory.

8. And whereas, upon scrutiny, it is observed that the RPS M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd. in this regard is violating sub rule 5(z) of MS(RPS) Rules, 2016.

9. Therefore, it concluded that M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd has no valid explanation to tender in the matter and it is evident from above that M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd. is guilty of violating sub rule 5 (z) under Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016 promulgated vide Gazette Notification GSR No. 169(E) dated 15.02.2016.

10. In view of above, M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd RPSL bearing No. RPSL-KOL-020 is hereby **suspended for the period of 06 month (Six months) with effect from 30.10.2025 to 29.04.2026**. However M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd. and its associated Directors shall continue to remain liable for the seafarers who are recruited by the said company and presently onboard vessels.

11. M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd. is also directed to make all the due payments i.e Levy fees, SWFS dues and SPFO dues in respect of all the Indian Seafarers recruited and placed onboard Indian and foreign flag vessels and furnish the proof of payments to this office as soon as possible.

12. The RPSL Company may carry out annual and renewal inspection post completion of the suspension period. The Licence shall be reinstated upon satisfactory annual and renewal inspection, which shall be accepted by this office on examination of compliance in terms of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016

13. If, M/s Sygnius Ship Management Pvt. Ltd., is aggrieved by the order passéd, may within a period of thirty (30) days of receipt of this order appeal to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Kolkata being First Appellate Authority in accordance with Rule 19(1) of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016 [It may be noted that Rule 18 mentioned under Rule 19(1) of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of seafarers) Rules, 2016 is to be read as Rule 12 in view of typographical error in Gazette Notification No. G.S.R No. 169(E) dated 15.02.2016]

14. This issues with the approval of Director, Seamen's Employment Office, Kolkata.

Deputy Director
For Director

To,
M/s. Sygnius Ship Management Pvt. Ltd.
Sygnius Group, 6 West Range,
214/1/3 Lower Circular Road,
Kolkata- 700017
E-mail:- sygniusship@gmail.com / crewing@sygniusship.com

Copy to:
i)The Directorate General of Shipping, Mumbai [Crew Branch/Training Branch].
ii) The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Kolkata/Chennai/Mumbai/Kochi/Kandla.
iii)The Director, Seamen's Employment Office, Mumbai/Chennai.
iv)The Shipping Master, Govt. Shipping Office, Mumbai/Chennai.
v)The DDG(E-governance), DGS, Mumabi with request to update list of RPS agencies, accordingly.
vi) Computer Cell, DGS, Mumbai with request to publish the same on DGS website.